न्यायालय अतिरिक्त.जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
176 / प्रा.पत्र / 2017	13.04.2017	15.11.2019

सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली, जिला बून्दी। – प्रार्थी

बनाम

मदन लाल आ. मूलचंद जाति महाजन निवासी ग्राम सांवतगढ़ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी। – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 आवंटन दिनांक 15.06.1976 निरस्त करने बाबत्।

उपस्थित :–
प्रार्थी की ओर से – पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी की ओर से – श्री रणधीर सिंह, अभिभाषक।

–: निर्णय :–

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अप्रार्थी मदन लाल आ. मूलचंद जाति महाजन निवासी ग्राम सांवतगढ़ को कृषि प्रयोजनार्थ किये गये भूमि आवंटन ख.नं. 116 रकबा 07 बीघा को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी व अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली तलब की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी मदन लाल आ. फूलचंद को ग्राम सांवतगढ में ख. नं. 116 रकबा 07 बीघा भूमि दिनांक 15.06.1976 को आवंटन की गई थी। उक्त भूमि वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में आवंटी के गैरखातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होकर अन्य का कब्जा काश्त है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी को उक्त विवादित भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पूर्ण कोरम में बाद जांच करके दिनांक 15.06.1976 को आवंटन की गई थी। आवंटन के पश्चात आवंटी को कब्जा संभलाकर गैरखातेदारी दर्ज की गई है। यह

प्रार्थना पत्र तहसीलदार ने पटवारी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर पेश किया गया है। रिपोर्ट का तहसीलदार द्वारा या भू.अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी भौतिक रूप से सत्यापन नहीं करवाया गया है। अन्य व्यक्ति का कब्जा किस आधार पर लिखा गया है। कोई राजस्व रेकार्ड की नकले या दस्तावेज पेश नहीं किये गये है मात्र पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार अन्य का कब्जा काश्त नहीं माना जा सकता। अप्रार्थी को आवंटन हुये करीब 43 वर्ष हो चुके है। 43 वर्ष बाद आवंटन खारिज की कार्यवाही चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थी को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पूर्ण कोरम में आवंटन किया गया है। उसके पश्चात आवंटी को गैरखातेदारी दी गई है। अतः प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथ्यहीन, सारहीन होने से खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी मदन लाल आ. मूलचंद जाति महाजन को ग्राम सांवतगढ़ में खसरा नं. 116 रकबा 07 बीघा भूमि का आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 15.06.1976 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। आवंटन के पश्चात बाद जांच तहसीलदार द्वारा आवंटी को गैरखातेदारी दी गई है। प्रार्थी ने अन्य का कब्जा काश्त मानकर आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही पेश की गई है लेकिन अन्य व्यक्ति का कब्जा काश्त होने बाबत् कोई दस्तावेज राजस्व रेकार्ड पेश नहीं किया गया है। जिससे अन्य का कब्जा काश्त साबित होता हो। यदि अन्य व्यक्ति का विवादित भूमि पर कब्जा हो तब भी उसकी हैसियत मात्र अतिक्रमी की बनती है तथा अतिक्रमी को भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। आवंटी के आवंटन के विरूद्व कार्यवाही निरस्त करने बाबत् 43 वर्ष बाद पेश किया जाना युक्तियुक्त नहीं है। अप्रार्थी को दिनांक 15.06.1976 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन विधिपूर्ण तरीके से किया गया है। अन्य व्यक्ति का कब्जा काश्त होने बाबत भी कोई दस्तावेज राजस्व रेकार्ड प्रार्थी ने पेश नहीं किया है। जिससे आवंटी के अलावा अन्य का कब्जा काश्त साबित होता हो। अप्रार्थी को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 15.06.1976 को पूर्ण कोरम में आवंटन किया गया है। आवंटी को आवंटन के पश्चात् दिनांक 16.06.1976 को कब्जा दिया जाकर पट्टा जारी किया गया है। उसके पश्चात् तहसीलदार द्वारा गैरखातेदारी दर्ज की गई है। जिसमें कोई विधिक दोष प्रमाणित नहीं होता। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है तथा अप्रार्थी मदन लाल आ. मूलचंद को किया गया आवंटन दिनांक 15.06.1976 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 15.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Joshi
Date: 2019.11.29 13:06:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: